न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
95 / 2021	30.9.2021	06-12-2024

कुन्जीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति माली निवासी रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र परसादी, माली नि0 रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र परसादी, माली नि0 रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. बैंक आफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी
4. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हरिशंकर शर्मा , एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओरसे

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 436 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 567 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 568 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 571 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 620 रकबा 0.31 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.52 है0 ग्राम विदरखा वादी के पिता बत्तीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादी के पिता का देहान्त दिनांक 4.5.2021 को हो चुका है। उक्त भूमि में वादी के पिता का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसे वे जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे हैं तथा वर्तमान में उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ती पर वादी काबिज है। वादी ही स्व0 बत्तीलाल की जायदाद का एकमात्र वारिस है। वादी के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उक्त भूमि में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं व वादी को अनुपस्थित बताकर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवाना चाहते हैं। दिनांक 21.6.2021 को जब वादी अपने पिता के हिस्से की 1/4 भूमि की साफ सफाई कर रहा था तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकाते हुए कहा कि यह भूमि खाली कर दो अब हम तुम्हें इस भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे, हम ही भूमि काश्त करेंगे, तुम्हें भूमि से जबरन बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कर देंगे। इस कारण वादी को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर वादी को पिता बत्तीलाल पुत्र परसादी के 1/4 हिस्से की भूमि ख0नं0 436 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 567 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 568 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 571 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 620 रकबा 0.31 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.52 है0 ग्राम विदरखा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उसी अनुसार सरकारी कागजात व लैण्ड रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी के 1/4 हिस्से में वादी को उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम विदरखा खाता संख्या 173, फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी आधारकार्ड वादी कुंजीलाल, फोटोकोपी जन आधार कार्ड, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र बत्तीलाल प्रस्तुत किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने दिनांक 19.7.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि पक्षकारान में लोक अदालत की भावना से व पांच आदमियों के समझाने से राजीनामा हो गया है एवं पक्षकारान में यह तय हो गया है कि मृतक बत्तीलाल की भूमि व हिस्सा को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादी का दावा डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.08.19 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने जुबानी बहस में राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट * गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 173 के अनुसार बत्तीलाल पुत्र परसादी माली के नाम हिस्सा 1/4 सहखातेदारी में दर्ज है। फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार बत्तीलाल की मृत्यु दिनांक 4.5.2021 को हुई है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी अपने पिता बत्तीलाल के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 436 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 567 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 568 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 571 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 620 रकबा 0.31 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.52 है0 ग्राम विदरखा में वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि बत्तीलाल पुत्र प्रसादी हिस्सा 1/4 माली सा0 देह खातेदार के नाम से हजफ की जाकर वादी कुन्जीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति माली की खातेदारी में दर्ज की जावे। भूमि पर बैंक रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत   उप जिलाकलक्टर   मुकाम   गंगापुर सिटी
इजलास   बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

कुन्जीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति माली निवासी रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र परसादी, माली नि0 रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र परसादी, माली नि0 रेती विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. बैंक आफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी
4. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —95/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 436 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 567 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 568 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 571 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 594 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 620 रकबा 0.31 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.52 है0 ग्राम विदरखा में वादी को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि बत्तीलाल पुत्र प्रसादी हिस्सा 1/4 माली सा0 देह खातेदार के नाम से हजफ की जाकर वादी कुन्जीलाल पुत्र बत्तीलाल जाति माली की खातेदारी में दर्ज की जावे। भूमि पर बैंक रहन का इन्द्राज यथावत दर्ज रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-12-20... को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवा0)